राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– ढण्ढेला

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस.)

वाद सं0 : 202 सन 2018

अनवान :–

1. सीताराम पुत्र हाकमराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. हाकमराम पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. भीमराज पुत्र हाकमराज जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

अर्जीदावा इश्तकरार हक स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री मागीलाल देहडु अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 16.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश कर निवेदन किया कि रोही मौजा ढण्ढेला के खसरा न0 115/53.09 बीधा , खसरा न0 414/0.18 , 428/9.10 बीधा , 437/79.19 बीधा कुल 143.16 बीधा भूमि जो वादी के दादा श्रीराम के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने के बाद वाद भूमि विरास्तन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत – 2018 कैम्प कोर्ट में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ,स्वय उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को मेरे साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया ।

हमने वकील वादी की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा श्रीराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा श्रीराम के देहान्त होने के बाद वाद भूमि विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि वादी के दादा के देहान्त होने पर विरास्तन से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है पैतृक सम्पति में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसकी न्यायालय से धोषणा करवाने का वादी अधिकारी है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार कर राजीनामा पेश किया जा चुका है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों /प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 213/196 के खसरा न0 115/13.5190हैक , 414/0.2280 ,428/2.4030हैक 437/20.2210हैक कुल 36.3710हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 605–1/9 हिस्सा भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक अदालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–ढण्ढेला

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–ढण्ढेला

न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. सीताराम पुत्र हाकमराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 हाकमराम पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. भीमराज पुत्र हाकमराज जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 202सन 2018 निर्णय दिनांक– 16.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 213/196 के खसरा न0 115/13.5190हैक , 414/0.2280 ,428/2.4030हैक 437/20.2210हैक कुल 36.3710हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 605–1/9 हिस्सा भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक अदालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–ढण्ढेला